राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.3(55)नविवि / 3 / 2002पार्ट   जयपुर, दिनांक 17 APR 2026

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2025–26 की पालना में शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र (प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / नगर निगम / नगरपरिषद् / नगरपालिका) में नवीन मण्डियों / गौण मण्डियों एवं फूडपार्क के लिये भूमि आवंटन नीति–2025 के तहत भूमि आवंटन आरक्षित दर / DLC की 25 प्रतिशत दर पर किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे मण्डियों को निःशुल्क भूमि प्राप्त हो सके।

उक्त छूट वित्त (राजस्व) विभाग की आईडी सं. 252500087 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि जैन)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(आलोक गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं विपणन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद् / पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. सहा0 निदेशक / प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

17/4/26

शासन उप सचिव–प्रथम